**Next date of hearing 11.08.2025**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,**
**NEW DELHI**

**I.A no. 653 of 2024**

**IN**

## Original application no. 211 of 2024

IN THE MATTER OF :

Sanjay Agarwal ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...Respondents

**INDEX**


| Sl. No. | Particulars | Court fees |
|---|---|---|
| 1 | Reply on behalf of District Development Authority, Tehri Garhwal, Uttarakhand to the application for impleadment filed by Smt. Shweta Gupta. | |


Filed on 10.07.2025


(VINAY GARG)
Counsel for the Respondent No-4
C-253, F.F, Defence Colony
New Delhi
Ph. 41740212, 24333388
Clerk Mobile : 9810152408
E-mail: vinaygarg62@yahoo.co.in

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**Original Application No. 211 of 2024**

**IA No. 653 of 2024**

**In the matter of:**

Sanjay Agarwal & ors. .... Applicant

Vs.

State of Uttarakhand .... Respondent

AND

Smt. Shweta Gupta ..... Present Applicant

NOTARIAL

NOTARIAL

**Reply on behalf of District Development Authority, Tehri Garhwal, Uttarakhand to the application for impleadment filed by Smt. Shweta Gupta**

I, Ashish Chandra Ghildiyal S/o Shri Satish Chandra Ghildiyal aged about 50 years, posted as Joint Secretary in District Level Development Authority, Tehri, Old Collectorate Building, Narender Nagar, District Tehri, do hereby solemnly state on oath as under:

1. That the deponent is working and posted as Joint Secretary in the District Development Authority, Tehri Garhwal, Uttarakhand and is well conversant with the facts of the case. hence is competent to sign and swear this affidavit.

2. That in compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal, the Respondent No.4 is submitting herein below the response to the application for impleadment filed by Mrs. Shweta Gupta.

3. That the present application for impleadment filed by the Mrs. Shweta Gupta is not bonafide as it does not disclose the entire facts.

4. That the present Applicant has claimed impleadment on the ground that the entire building is owned by her and her husband Sri. Kapil Gupta. In support of the ownership, one sale deed in favour of Mr. Kapil Gupta having an area of 104.25 sq. meters and other in favour of the present applicant having an area of 200.74 sq. meters have been filed *[The sale deed on favour of Sri. Kapil Gupta has been annexed with I.A. No. 652/2024]*. Both the sale deeds are dated 15.12.2012.

From the perusal of the sale deeds, it is not clear as to whether the building in question has been constructed on the piece of land under the Sale deeds.

This Hon'ble Tribunal by order dated 09.05.2024 constituted a joint committee to submit a report with regard to the complaint of violation of environmental law. The Joint Committee, on Site inspection, submitted a report stating that out of the 6 unauthorized buildings one of them was under the ownership of Mr. Rajesh Agarwal/others.

The area of the building shown by the Joint Committee in its report is 265.35 sq. meters whereas the total area of the land claimed by the Applicant under the Sale deeds is 304.99 sq. meters. There is no averment in the application for impleadment in this regard.

5. That further, the grievance of the present applicant is that though she and her husband is the owner of the said building but the Joint Committee failed to bring their names on record. This position can be explained by the State of Uttarakhand/Joint Committee.

However, so far as the District Development Authority, Tehri Garhwal, Uttarakhand is concerned, the action taken by the Authority is already on record by way of affidavits dated 14.09.2024 and 14.12.2024. Few facts which are relevant to the present application are being narrated herein below for kind consideration by this Hon'ble Tribunal.

6. The District Development Authority, Tehri Garwhal has been constituted under the UP Urban Planning & Development Act, 1973 (as applicable to the State of Uttarakhand and now governed by the enactment namely *"The Uttarakhand Urban and Country Planning & Development Act, 1973"*). The Respondent No.4 acts and exercise powers within the jurisdiction as granted under the said enactment.

7. That as per the provisions of the abovesaid Act, 1973, action was taken by the District Development Authority, Tehri Garhwal, Uttarakhand for unauthorized construction of the building without approval of map. However, since there was no response, the Authority passed the sealing orders of the building.

During the course of sealing of the building on 09.09.2024, it was found that out of 17 units constructed in the building, 14 units were occupied by different people who were residing therein with their families. It was informed by the occupants that all 17 units were sold to different people by the owner/builder Mr. Rajesh Agarwal.

Out of these 17 units, 3 units belonging to the husband of present applicant Mr. Kapil Gupta (unnumbered on the ground floor), Mr. Dinesh Gupta (first floor unit no. A-1) and Smt. Hemlata (4th floor unit no. A-4) were lying vacant. These units were sealed alongwith one hall under construction on the terrace on 09.09.2024.
Out of the 14 units, one unit no. D-4 on fourth floor, also belonged to the husband of present applicant Mr. Kapil Gupta. All the occupants were asked to vacate the premises so that action for demolition could be taken.

8. That since the building owners did not take any action, demolition order dated 14.10.2024 were passed in the name of Mr. Rajesh Agarwal & Ors. asking the occupants to demolish the building itself within 30 days or else it will be forcibly demolished.

Though this order dated 14.10.2024 was issued in the name of Mr. Rajesh Agarwal & Ors., however it was challenged by the husband of present

appeal was dismissed by the Appellate Authority by order dated 14.11.2024. The copy of orders dated 14.10.2024 and 14.11.2024 are annexed as **Annexures A-1 & A-2.**

9. That from the perusal of the order dated 14.11.2024, it is clear that this appeal was filed collectively by the occupants alongwith the husband of present applicant Mr. Kapil Gupta. Though the present application has been filed on 22.11.2024 but the present applicant has not disclosed the facts of demolition order dated 14.10.2024 and the appeal dismissal order dated 14.11.2024, for the reasons best known to them.

It is submitted that the demolition order dated 14.10.2024 has subsequently been stayed by Uttarakhand Housing & Urban Development Authority, the Revisionary Authority, on revision filed by the husband of present applicant Mr. Kapil Gupta and the present applicant. This fact has already been narrated in the affidavits already on record. The stay is still continuing.

10. That in the entire application the present applicant has narrated incomplete facts and has not even whispered as to the involvement of Mr. Rajesh Agarwal from whom the unit holders claim to have purchased the units in the building.

In view of the above position this Hon'ble Tribunal may kindly consider passing appropriate order.

Deponent

**Verification**

I, Ashish Chandra Ghildiyal, the deponent do hereby affirms that the facts mentioned in this Affidavit in paras 1 to 11 are correct and have been affirmed on the basis of record. The annexures are true copies of their originals.

Verified today the .03.. day of July, 2025 at Tehsil office.......

Deponent.

NOTARY
Shambhu Prasad Chamoli
Advocate Notary
Tehsil Narendra Nagar
Reg. No. ...2012
STATE OF UTTARAKHAND

Signed Sworned & verified before me by Shri Ashish Chandra Ghildiyal who is identified by Shri ... at Narendra Nagar (T.G) on 3.7.25

S. P. CHAMOLI
Advocate & Notary
Narendra Nagar (T.G)

4

816

कार्यालय

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी

पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।

**Website- dldatehri.org** **E-mail - ddatehriuk@gmail.com**

पत्रांक 322 /जि0स्त0वि0प्रा0 / 2024-25 दिनांक 14-10-2024

न्यायालय संयुक्त सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री राजेश अग्रवाल एवं अन्य 17 फ्लैट्स स्वामी

## ध्वस्तीकरण आदेश

अवगत कराना है कि प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये बिना आपके द्वारा डैक्कन वैली के पीछे घुघत्याणी मे लगभग 45 X 60 फीट क्षेत्रफल में स्टिल्ट व चार तलों में पूर्व निर्मित भवन जिसमें 17 फ्लैट्स बनाकर अन्य लोगो को विक्रय किया गया है उक्त भवन का बिना मानचित्र स्वीकृति के अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने पर उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973 (संशोधित अधिनियम–2013) की सुसंगत धाराओ 27(1) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध वाद संख्या–2410 / नो0 / अ0वि0 / 87 / 2017–18 द्वारा वाद योजित है। विपक्षी को प्राधिकरण द्वारा पत्रांक संख्या–मेमो / नो0 / अ0वि0 / 87 / 2017–18 दिनांक 22.04.2018 द्वारा नोटिस का उत्तर / स्थलानुसार शमन मानचित्र प्रस्तुत कर मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु सूचना दी गयी। परन्तु सुनवायी के दौरान विपक्षी लगातार अनुपस्थित रहे व इनके द्वारा कोई भी शमन मानचित्र प्राधिकरण मे प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके उपरान्त प्राधिकरण कार्यालय के पत्रांक–110 / जि0स्त0वि0प्रा0 / 2024–25 दिनांक 22.06.2024 द्वारा विपक्षी को उक्त अवैध निर्माण किये जाने के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम– 1973, (संशोधित अधिनियम–2013) की सुसंगत धाराओं 28(क) के अधीन क्यो न प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील हेतु कारण बताओं नोटिस प्रेषित किये गये, परन्तु इसके उपरान्त भी विपक्षी द्वारा सुनवायी के दौरान कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, तत्पश्चात प्राधिकरण द्वारा पत्रांक–209 / जि0स्त0वि0प्रा0 / 2024–25 दिनांक 27.08.2024 द्वारा विपक्षी को उक्त अवैध निर्माण किये जाने के कारण सनुवायी हेतु अन्तिम अवसर दिया गया, विपक्षी द्वारा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कोई वैध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।, स्थल पर पंचम तल पर निर्माण कार्य जारी रखा गया। प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नियमानुसार मानचित्र जमा किये जाने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया गया। स्पष्ट है कि विपक्षी श्री राजेश अग्रवाल एवं अन्य द्वारा उक्त अनाधिकृत भवन का बिना मानचित्र स्वीकृति के एवं बिना रेरा में पंजीकरण कराये बिना अवैध रूप से आवासीय फ्लैट का विक्रय किया गया है। उक्त आवासीय फ्लैट के सभी क्रेताओं का उत्तरदायित्व था कि आवासीय फ्लैट खरीदने से पूर्व वह वैध रूप से मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में पुष्टि कर ले तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार ही फ्लैट खरीदने की कार्यवाही नियमानुसार करें। यदि क्रेताओं द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के अनाधिकृत निर्माण / आवासीय फ्लैट को खरीदा जाता है तो प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम– 1973, (संशोधित अधिनियम–2013) की सुसंगत धाराओं द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध के सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही विधि सम्वत हैं।

अपर सहायक अभियन्ता / सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण आख्या दिनाक 06.08.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि विपक्षी द्वारा मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये गये है व स्थल पर पंचम तल पर निरन्तर निर्माण कार्य जारी रखते हुये अनाधिकृत निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। मा0 न्यायालय, एन0जी0टी0 द्वारा संजय अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में प्रश्नगत अवैध निर्माण पर संज्ञान लेते हुये आगामी तिथि प्राधिकरण को कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

5

Scanned with OKEN Scanner

जिसके उपरान्त प्राधिकरण द्वारा उक्त अवैध निर्माण को सील करने हेतु आदेश संख्या–222/ जि0स्त0वि0प्रा0/2024–25 दिनांक 06.09.2024 द्वारा आदेश पारित किया गया।. जिसके अनुपालन में दिनांक 09.09.2024 को 17 फ्लैट्स मे से मात्र 03 फ्लैट जो खाली थे (एक भूतल पर एवं 02 प्रथम तल) पंचम तल पर निर्माणाधीन कार्य मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध निर्माण को सील कर दिया गया तथा अवशेष 14 फ्लैट्स स्वामियो के निवासरत होने के कारण सीलिंग की कार्यवाही नहीं होने दी गयी। प्राधिकरण के पत्रांक–80/टी0एस0एन0/0047/2024 दिनांक 10.09. 2024 द्वारा उनको खाली करने हेतु 15 दिन का समय दिया गया है उक्त फ्लैटो को खाली करने हेतु 15 दिन का दिया गया समय पूर्ण हो गया है, इससे अवगत है कि विपक्षी को सुनवाई हेतु प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त अवसर/समय प्रदान किया गया है तथा उसके उपरान्त भी विपक्षी द्वारा मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी है। यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल का भू–उपयोग वर्तमान प्रचलित महायोजना अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में दर्शाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नही है। अतः उक्त अवैध निर्माण को शमन किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में विपक्षी श्री राजेश अग्रवाल व अन्य सभी 17 फ्लैट्स स्वामियों के उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम– 1973 (संशोधित अधिनियम–2013) की सुसंगत धारा–27 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। स्थल पर किया गया निर्माण शमनीय नही है अतः विपक्षी श्री राजेश अग्रवाल व अन्य सभी 17 फ्लैट्स स्वामियों को आदेशित किया जाता है कि स्थल पर उपरोक्तानुसार किये गये समस्त अवैध निर्माण को इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर स्वयं हटा लें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाले समस्त व्यय भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लिया जायेगा।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढवाल।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढवाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला टिहरी गढवाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी/सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर टि0ग0 को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी निरीक्षक, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ प्रेषित।
7. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता, जि0स्त0वि0प्रा0 टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।
8. श्री राजेश अग्रवाल एवं अन्य 17 फ्लैट स्वामियों को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवैध निर्माण को इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर स्वयं हटा लें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी.
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।

6

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय अध्यक्ष, जिला विकास प्राधिकरण / आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
अन्तर्गत धारा 27 (2) उत्तराखण्ड
नगर योजना एवं विकास अधिनियम

अपील संख्या– 20 /2024–25

श्री कपिल गुप्ता आदि
बनाम
सचिव, जिला विकास प्राधिकरण, टिहरी।
निर्णय दिनांक 14-11-24

प्रश्नगत अपील, संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी, नरेन्द्रनगर के आदेश पत्रांक 322 / जि0स्त0वि0प्रा0 / 2024–25 दिनांक 14–10–2024 के विरुद्ध योजित की गई है।

अपीलार्थीगण के वि0 अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थीगण प्रश्नगत निर्माण के संयुक्त रूप से स्वामी है। अपीलार्थीगण द्वारा वर्ष 2015 से प्रश्नगत स्थल पर आवासीय भवन का निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व अपीलार्थीगण तत्समय के प्राधिकरण कार्यालय में जानकारी हेतु गये तो प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि उक्त क्षेत्र का भू–उपयोग अनुकूल नही होने के कारण मानचित्र स्वीकृत नही किए जाते है, परन्तु तपोवन क्षेत्र में कई आवासीय इकाई व प्रतिष्ठान होटल बिना स्वीकृति के निर्मित है। इस कारण भवन मानचित्र स्वीकृति की आवश्यकता नही है, जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा भवन निर्माण कर दिया गया तथा आर्थिक तंगी के कारण सम्पत्ति के कुछ भाग को विक्रय कर दिया गया। अपीलार्थी के संज्ञान में यह भी आया कि एक संजय अग्रवाल नामक व्यक्ति द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में उक्त क्षेत्र से संबंधित शिकायत दर्ज की गई है, जिसके आलोक में प्राधिकरण को अपनी आख्या प्रस्तुत करने हेतु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्देशित किया गया। प्राधिकरण द्वारा आनन–फानन में निर्माण को सीलवन्द कर दिया गया, परन्तु अपीलार्थीगण द्वारा किसी भी प्रदूषण सबंधित नियमों का उल्लंघन नही किया गया। सीलवन्द के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा आवासीय इकाई में निवासरत व्यक्तियों को अपने–अपने आवासीय ईकाई को 15 दिनों के अन्दर खाली करने का नोटिस दिया गया और वर्तमान तक प्राधिकरण द्वारा कोई वेदखली वाद योजित नही किया गया है। प्राधिकरण द्वारा बिना 27(1) का कारण बताओ नोटिस जारी किए ही ध्वस्तीकरण का आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जबकि ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए जाने से पूर्व 27(1) का कारण बताओ नोटिस दिया जाना परम आवश्यक है। आलोच्य ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांकित 17–09–2024 का भी अनुपालन नही किया गया तथा न ही ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय से अनुमति प्राप्त की गई। उक्त आधार पर अपील स्वीकार करने एवं आलोच्य आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट दिनांक 11–11–2024 में उल्लेख किया गया है प्रश्नगत स्थल पर 16+1 फ्लेट्स बिल्डर्स राजेश अग्रवाल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत अनाधिकृत निर्माण किया गया है एवं बिना रेरा में पंजीकरण कराये ही अवैध रूप से आवासीय फ्लैटस को विकय किया गया है। ऋषिकेश महायोजना 2011 के अनुसार उक्त भवन का निर्माण कृषि हरित पट्टी क्षेत्र में किया गया है, जबकि इस क्षेत्र में निर्माण निषेध है। उक्त क्षेत्र पूर्व में हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1988 से सम्मिलित था तथा उक्त क्षेत्र वर्ष 2020 में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी के अन्तर्गत सम्मिलित हुआ है। मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 द्वारा संजय अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में प्रश्नगत अवैध निर्माण का संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण से रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। ऋषिकेश महायोजना–2011 के मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार व विधिक रूप से प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित है। उक्त अनाधिकृत ग्रुप हाउसिंग में से 17 फ्लैटस में से मात्र 03 फ्लैट को ही सील किया गया है जो कि खाली थे अन्य 14 को खाली करने हेतु 15 दिन का समय देते हुए नोटिस निर्गत किया गया है। उक्त अवैध निर्माण के विरूद्ध दिनांक 22–04–2018 को हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा धारा 27(1) में वाद योजित किया गया। प्रश्नगत अवैध निर्माण के विरूद्ध वाद की सुनवायी उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973 (संशोधित अधिनियम –2013) की धारा 27(1) के अन्तर्गत पूर्व में हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा एवं वर्तमान में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी में से की जा रही है। प्रश्नगत निर्माण का



Scanned with OKEN Sc

कार्यालय ... प्राधिकरण टिहरी

-2-

मानचित्र सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं है। कारण बताओ नोटिस निर्गत करने एवं विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद भी निर्माणकर्ता द्वारा न तो स्वीकृत मानचित्र की प्रति प्रस्तुत की गयी और न ही शमन मानचित्र स्वीकृत कराया गया। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त अवैध निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री राजेश अग्रवाल व अन्य द्वारा डेक्कन वैली के समीप ऊपर तपोवन में प्रश्नगत अपार्टमेंट का निर्माण किया गया है, उक्त निर्माण की कोई स्वीकृति प्राधिकरण से नही लिए जाने के कारण तत्समय हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा वाद योजित किया गया और वर्ष 2020 में उक्त क्षेत्र जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी के क्षेत्रान्तर्गत आने पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध भवन निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा भी संजय अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि में भी उक्त अवैध निर्माण का संज्ञान लिया गया है। भवन निर्माण एवं उसके आवासीय फ्लैट के विक्रय हेतु रेरा के प्राविधान लागू थे, लेकिन इस हेतु रेरा मे भी पंजीकरण नही कराया गया। उक्त अवैध भवन का ऋषिकेश महायोजना–2011 मानचित्र के अनुसार भू–उपयोग कृषि हरित पटटी में प्रदर्शित है, जिसमें मानचित्र स्वीकृत नही हो सकता है। अतः प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अनाधिकृत विकास/निर्माण कार्य के विरूद्ध विधिक कार्यवाही का क्षेत्राधिकार प्राधिकरण में निहित होने के कारण प्राधिकरण द्वारा आलोच्य आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। अतः अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति प्राधिकरण को प्रेषित की जाय। इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित हो।

दिनांक 14-11-2024

(विनय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त/अध्यक्ष,
जिला विकास प्राधिकरण,
पौड़ी गढ़वाल।

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, शिविर देहरादून

₹2 UTTARAKHAND COURT FEE CANCELLED

₹5 UTTARAKHAND COURT FEE UKCT1751905/24020 17-OCT-2024 CANCELLED

₹5 UTTARAKHAND COURT FEE 2024 CANCELLED

₹1 UTTARAKHAND COURT FEE CANCELLED

सत्य प्रति 18/11/24

अहलमद
न्यायालय आयुक्त
गढ़वाल मण्डल
शिविर देहरादून

प्रतिलिपिकार..........
तुलनाकार ..........
फैसला दिनांक...15-11-24..........
प्रार्थना पत्र देने की तिथि..18-11-24..
नकल जारी करने की तिथि..18-11-24..

CA-4
8-13

8